

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ 659 /2023

दिनांक 20.02.2023


श्रीमती विभा आर्य (RJ1064), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 16.01.2023 से 25.01.2023 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश।
2. दिनांक 30.01.2023 से 02.02.2023 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश।

श्रीमती आर्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, राजगढ़ (अलवर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 20-02-2023

कमांक:—स्था.बी.2(4)/52/2016/ 1431

दिनांक : 20.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 4040/4204 दिनांक 30.01.2023/31.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती विभा आर्य (RJ1064), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, राजगढ़ (अलवर) ।


20.2.2023
सहायक रजिस्ट्रार